(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2509–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 518/अपील/2014–15.

.....

1–आरिफ अली पुत्र श्री मुबारिक अली
2–आसिफ अली पुत्र श्री मुबारिक अली
3–शारिक अली पुत्र श्री मुबारिक अली
निवासीगण ग्राम ककरूआ बरामद गढी
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–शोएब परवेज पुत्र स्व0श्री अब्दुल शफीक
2–नालोफर पुत्री स्व0श्री अब्दुल शफीक
3–रूबी पुत्री स्व0श्री अब्दुल शफीक
4–शाहीन पुत्री स्व0श्री अब्दुल शफीक
5–मुबशिंग पुत्री स्व0श्री अब्दुल शफीक
6–नफीसा बी वेबा स्व0श्री अब्दुल शफीक
निवासीगण सागर हाल निवास भोपाल म0प्र0
7–म0प्र0राज्य द्वारा जिलाधीश जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री इलियास खान, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ककरूआ बरामद गढी तहसील बेगमगंज जिला रायसेन स्थित भूम सर्वे कमांक 2/2 रकबा 10.54 एकड़ के भूमिस्वामी अब्दुल शफीक थे, उक्त भूमि को प्रत्यर्थीगण के पिता अब्दुल शफीक आवेदकगण को कोली बटिया से देते रहे है तथा वर्ष 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। आवेदकगण ने धोखाधडी से पटवारी से सॉठ–गॉठ करके बिना किसी विधिक अधिकार के उपरोक्त भूमि का बटवारा नामान्तरण पंजी कमांक 8 दिनांक 6–12–2005 से बटवारा करा लिया था । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर 11–5–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–6–16 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अब्दुल शफीक ने अपनी आश्यकता की पूर्ति के लिये प्रश्नाधीन भूमि मुबारिक अली को रुपये 40,000/– में विकय कर दिनांक 25–7–92 को इकरारनामा निष्पादित करा लिया गया है तथा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा मुबारिक अली को सौंप दिया गया, तत्पश्चात् 2004–05 में मूल भूमिस्वामी अब्दुल शफीक की सहमति से नामान्तरण पंजी पर दिनांक 6–12–2005 को आदेश पारित कराया गया है जो कि विधिसंगत है ।

(2) आवेदकगण वर्ष 1992 से निरन्तर प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, परन्तु मूल भूमिस्वामी अब्दुल शफीक द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है । अब्दुल शफीक के स्वर्गवास होने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित

आदेश विधिसंगत आदेश है जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अब्दुल शफीक की भूमि पर कोई हिस्सा प्राप्त करने का हक प्राप्त नहीं था और उन्हें अपने जीवनकाल में भूमि अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार था इसलिये नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(4) अब्दुल शफीक द्वारा अपनी भूमि का विक्रय कर दिये जाने के कारण अनावेदकगण का भूमि पर कोई स्वत्व नहीं रह गया था, इसलिये उन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिाकर नहीं था ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु अनावेदकगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है ।

(6) अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन इकरारनामे को फर्जी एवं कूटरचित सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण के पिता अब्दुल शफीक एवं आवेदकगण के पिता मुबारिक अली सगे भांजे है और वे प्रश्नाधीन भूमि कोली बटिया पर आवेदकगण को देते रहे है एवं वर्ष 2012 में अब्दुल शफीक की मृत्यु हो गई है । आवेदक द्वारा बिना किसी अधिकार के पटवारी से सॉठ गॉठ कर प्रश्नाधीन भूमि अपने नाम दर्ज करा ली गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है ।

(2) आवेदकगण ने 10/– रुपये का फर्जी स्टाम्प दिनांक 25–7–92 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर मुबारिक अली पुत्र युसुफ अली का नाम लिखा है, जबकि विवादाग्रस्त भूमि का नामान्तरण आरिफ अली, आसिफ अली एवं शारिक अली के नाम से हुआ है जो शकांस्पद है ।

(3) एक ओर से आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि क्रय करना बता रहे है और दूसरी ओर अनावेदकगण के पिता अब्दुल शफीक का पुत्र बनकर बटवारा/नामान्तरण अपने नाम करा लिया गया है जो विधि विरूद्ध है ।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा बिना जॉच किये नामान्तरण पंजी पर बटवारा किया जाकर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया है जो कि पूर्ण विधि के विरूद्ध कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 8 में दिनांक 6–12–2005 को बटवारा आदेश पारित करा लिया गया है, जबकि नामान्तरण पंजी पर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप बटवारा नहीं किया जा सकता है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–06–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर